9. विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण।

10. अनु० जनजाति लड़कियों के लिए निम्न साक्षरता पाकेटों में शैक्षणिक परिसर।

3. विकलांग कल्याण

सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों की सहायता की योजना।

4. समाज रक्षा

(क) किशोर सामाजिक कुसमंजन निवारण एवं नियंत्रण।

(ख) बेसहारा बच्चों का कल्याण।

(ग) वयोवृद्धों से सम्बंधित स्वैच्छिक संगठनों को सहायता।

(घ) मधनिषेध एवं नशीली दवाओं के दुरूपयोग की रोकथाम (चेतना सृजनों और निवारक शिक्षा, नशीली दवा के बारे में चेतना सृजन परामर्श और सहायता केन्द्र निव्यसन सह-पुनर्वास केन्द्र निव्यसन शिविर इत्यादि)।

(ङ) समाज रक्षा सेवाओं के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठन को सहायता।

(च) शिशुओं एवं अन्तः देशीय दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने हेतु गृहों (शिशु गृह)

5. अल्पसंख्यक कल्याण—

आर्थिक मानदंड पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग।

Commission for Handicapped Persons

5788. SHRI AJIT P.K. JOGI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government propose to constitute a permanent commission for improving the educational, social and economic conditions of handicapped persons in the country and monitoring the implementation of welfare schemes formulated for them;

(b) whether Government have received representations regarding the constitution of a commission from some of the organisations connected with handicapped persons; and

(c) if so, what decision has been taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI); (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम

5789. श्री सत्य प्रकाश मालवीयः
श्री अनन्तराम जायसवालः

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम को अपनी योजना के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान कितनी धन राशि उपलब्ध कराने की योजना थी और निगम को वस्तुतः कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या निगम के आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए कोई मान दंड निर्धारित किए हैं, यदि हां, तो उक्त मानदंड क्या हैं;

(ग) वर्ष 1994-95 में निर्धारित मानदंड के अनुसार ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों की कुल संख्या क्या थी कितने आवेदकों को ऋण स्वीकृत किया गया और कितने आवेदकों को किस आधार पर ऋण अस्वीकृत किया गया;

(घ) वर्ष 1995-96 के लिए निगम ने क्या कार्यक्रम बनाया है और इसके लिए कितनी धन राशि की मांग की है एवं सरकार ने निगम को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई है; और

(ङ) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों में निगम के कार्यकलापों की समीक्षा की है तथा सरकार से प्राप्त धन राशि का लेखा जोखा किया है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के लिए वर्ष 1994-95 का 40 करोड़ रु० का आरम्भिक बजट प्रावधान किया गया था। इस निगम को 1994-95 के दौरान 23.77 करोड़ रु० और उपलब्ध कराकर कुल 63.77 करोड़ रु० की राशि प्रदान की गई। इस निगम से इस संबंध में कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) जी, हां। लाभग्राही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए और उसकी वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी की रेखा के दोगुने से कम अर्थात् 22,000/- रुपए प्रति वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में और 23,700/- रु० प्रति वर्ष शहरी क्षेत्रों में होनी चाहिए। एन०एस०एफ०डी०सी० इस सम्बन्ध व्यवहार्य आयसृजक परियोजनाओं जिनकी लागत 10 लाख रुपए/यूनिट से अधिक न हो, के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को 259 आवेदन सहायता के लिए प्राप्त हुए, जिसमें से 253 स्वीकृत किए गए, 3 वापस ले लिए गए, 17 अस्वीकृत कर दिए गए और 86 कार्रवाई के विभिन्न चरणों में थे। आवेदन एस०सी०डी०सी० से अपर्याप्त उत्तर, आवेदन कर्ता पात्र नहीं और योजना व्यवहार्य नहीं जैसे विभिन्न कारणों से अस्वीकृत किए गए।

(घ) वर्ष 1995-96 के लिए अंश पूंजी के रूप में 65 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1995-96 के लिए मार्किट उधार हेतु आंतरिक अतिरिक्त बजट संसाधन के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उधार लेने और उधार देने की लागत के बीच अंतर को पाटने के लिए 1995-96 के लिए ब्याज आर्थिक सहायता का 4.25 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है। एन०एस०एफ०डी०सी० ने शेयर पूंजी के बारे में अभी तक कोई औपचारिक अनुरोध नहीं किया गया है। मार्किट के उधार के संबंध में एन०एस०एफ०डी०सी० ने 95-96 के लिए 20 करोड़ रुपए के प्रावधान हेतु एक प्रस्ताव भेजा है जो सरकार द्वारा बढ़ाकर 50 करोड़ रु० कर दिया गया है। प्रदान किए संसाधनों और निधियों के आंतरिक सृजन को देखते हुए, एन०एस०एफ०डी०सी० द्वारा 1995-96 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति-उद्यमियों को 140 करोड़ रुपए संवितरण किए जाने की आशा है।

(ङ) एन०एस०एफ०डी०सी० के कार्यकलापों की समीक्षा सरकारी स्तर पर आंतरिक बैठकों में तथा कल्याण राज्य मंत्री और कल्याण मंत्री द्वारा अलग-अलग रूप से पिछले दो वर्षों के दौरान की गई।

एन०एस०एफ०डी०सी० की लेखा परीक्षा प्रति वर्ष सांविधिक के साथ-साथ नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 1993-94 तक लेखा परीक्षा हो चुकी है।

Rehabilitation of scavengers

5790. SHRI JAGIR SINGH DARD: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether a survey of scavengers has been completed in all the States;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) if not; by when the survey is likely to be completed and the States which are still to be covered; and

(d) what steps are taken to train and rehabilitate the scavengers?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) to (c) The survey of scavengers has been completed in all States except the States of Bihar, Gujarat, West Bengal and a few blocks of Orissa. Based on information collected from State Governments the total scavengers identified so far are 7,77,349. This survey shows that scavengers are largely concentrated in States of U.P., Maharashtra, Rajasthan and Madhya Pradesh. Governments of Bihar, Gujarat, West Bengal and Orissa have been reminded to complete the work of survey at the earliest date.

(d) Central assistance of Rs. 182.20 crores was released during the years 1991-92, 1992-93 and 1993-94 and Rs. 73.00 crores was released to the States Governments/U.T. Admns. during the year 1994-95 under the National Scheme of Liberation & Rehabilitation of scaven-ters and their dependents. The progress made under the scheme is given below:

Year 1992-93	Trained 18,913	Rehabilitated 15,579
1993-94	22,115	41,950
1994-95 (proposed)	42,332	1,43,946

The State Scheduled Caste Development Corporation is the nodal agency for the implementation of the scheme at the grass root level. NSFDC is responsible for day to day implementation' and